01/18 इजराय अंबर सिंह बनाम गंगा सिंह

27/3/25 वस्तुस्थिति स्पष्ट करें। पत्रावली दिनांक 16/4/25 को पेश हो।
16/4/25
27/3/25

16/4/25 पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी अधि. उप.। पैरोकार सरकार उप.। पैरोकार सरकार द्वारा जवाब पेश किया गया कि वादग्रस्त भूमि के वर्तमान राजस्व रिकार्ड में माननीय न्यायालय भू-प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा में द्वारा अपील सं. 63/12 में स्थगन आदेश जारी होकर राजस्व रिकार्ड में दर्ज है। स्थगन आदेश होने के कारण माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की पालना सम्भव नहीं है। अतः इजराय प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे।
प्रार्थी अधिवक्ता द्वारा दौराने बहस निवेदन किया कि माननीय न्यायालय भू-प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी, भीलवाड़ा द्वारा स्थगन आदेश जारी है, परन्तु प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत इजराय प्रार्थना पत्र में अपीलकर्ता नहीं होकर अन्य प्रकरण में अपील विचाराधीन है।
प्रार्थी अधिवक्ता एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई। पत्रावली का अध्ययन किया गया तथा बहस का चिंतन एवं मनन किया गया। प्रकरण में वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में माननीय न्यायालय भू-प्रबंधन अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपीलीय अधिकारी द्वारा वाद मन्द प्रकरण में स्थगन आदेश जारी होने से इजराय पालना सम्भव नहीं है। अतः स्थगन आदेश वादग्रस्त भूमि के सम्बन्ध में जारी होने से, स्थगन आदेश जारी रहने तक इजराय प्रार्थना पत्र में कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं है। अतः वर्तमान राजस्व में स्थगन आदेश जारी होने से इजराय प्रार्थना पत्र की कार्यवाही को स्थगन आदेश के जारी रहने तक स्थगित किया जाता है।
पत्रावली में निर्णय तारीख इजलास सुनाया जाना पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो तथा नम्बर से कम हो।
16/4/25

सहायक कलक्टर
भीलवाड़ा